न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः श्री मनोज सोंलकी, **R.A.S.**
प्रकरण संख्याः 08/2014 दर्ज तारीख 09.05.2011 (पुराना प्रकरण सख्या 58/2011)
उनवान मुकद्दमा

1. श्री बिजीया पिता स्व. श्री जीवला डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. मृतक गोतीया पिता स्व.श्री जीवला डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः'

2/1. श्री परतु पिता स्व. श्री गोतीया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2. श्री जिन्तु पिता स्व. श्री गोतीया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/3. श्री विपला पिता स्व. श्री गोतीया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/4. श्रीमति चुनकी बेवा स्व. श्री गोतीया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. मृतक नागजी पिता स्व. श्री जीवला डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः–

3/1 श्री कान्ति पिता स्व. नागजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/2 श्री भूरिया पिता स्व. नागजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/3 श्री छगन पिता स्व. नागजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/4 श्रीमति बदुड़ी बेवा स्व. नागजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

....2

Scanned with OKEN Scanner

4. मृतक हवजी पिता स्व. श्री जीवला डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः–

4/1. श्री शम्भु पिता स्व. हवजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. श्री प्रकाश पिता स्व. हवजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. श्री एलम पिता स्व. हवजी डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. मृतक नाकूड़ा पिता स्व.श्री जीवला डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः–

5/1. चम्पा पुत्री स्व. नाकूड़ा डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/2. भुरी पुत्री स्व. नाकूड़ा डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/3. श्रीमति राजुड़ी बेवा स्व. नाकूड़ा डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. श्री राजीया पिता स्व.श्री जीवला, डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. सीता पुत्री शम्भुड़ा, जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. मोगी पुत्री शम्भुड़ा, जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमति पूंजी बेवा शम्भुड़ा, जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. भेरीया पुत्र हलीया (हकरीया) जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....3

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

5. शान्तु पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. वालु पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. रकमा पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. दिलीप पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. सुरज पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. प्रकाश पुत्र धारिया डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. कमतु पुत्री धारिया डिंडौर जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. सुगना पुत्री स्व. धारिया डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. रामा पुत्री स्व. धारिया डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी ग्राम कमली पाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

    नाबालिगान सुरज, प्रकाश,सुगना व रामा पिसरान स्व. धारीया डिडौंर की वलिया व माता श्रीमति ककुड़ी बेवा स्व. धारिया जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. श्रीमति ककुड़ी बेवा स्व. धारिया जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटी–सरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
15. तोलीया पुत्र स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन; तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
16. शन्जू पुत्र स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र नाबालिग निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

    नाबालिगान तोलिया व शन्जू की सरपरस्त माता श्रीमति वरजा बेवा कालु भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....4

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

17. इतुड़ी पुत्री स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. लीला पुत्री स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र वयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. संगीता पुत्री स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र अवयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
20. लसु पुत्री स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र अवयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
21. वसन पुत्री स्व. कालु डिंडौर जाति भील उम्र अवयस्क निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

नाबालिगान संगीता, लसु, वसन की सरपरस्त माता श्रीमति वरजा बेवा स्व. कालु डिंडौर जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

22. श्रीमति वरजा बेवा स्व.. कालु डिंडौर जाति भील निवासी कमलीपाड़ा छोटी–सरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
23. मृतक खातु पुत्र बारजी डिंडौर जाति भील निवासी कटुम्बी तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः–

23/1 श्रीमति गोती बेवा खातु डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कटूम्बी पटवार मण्डल कटूम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बासंवाड़ा (राज.)

23/2. श्री शम्भु पिता स्व. खातु डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कटूम्बी पटवार मण्डल कटूम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बासंवाड़ा (राज.)

23/3. श्री रमेश पिता स्व. खातु डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कटूम्बी पटवार मण्डल कटूम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बासंवाड़ा (राज.)

23/4. श्री पप्पु पिता स्व. खातु डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कटूम्बी पटवार मण्डल कटूम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बासंवाड़ा (राज.)

24. मृतक कलजी पुत्र बारजी डिंडौर जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज़.) के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसानः–

24/1. श्रीमति वेस्ती बेवा कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

.....5

Scanned with OKEN Scanner

24/2. श्री देवचन्द पिता स्व. कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

24/3. श्री कानू पिता स्व. कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

24/4. श्री मोवन पिता स्व.. कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

24/5. रूपा पुत्री स्व. कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

24/6. काउड़ी पुत्री स्व. कलजी जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

25. रूपजी पुत्र बारजी डिंडौर जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

26. मोतीया पुत्र बारजी डिंडौर जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

27. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–25/07/2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणो के विरूद्ध न्यायालय मे प्रस्तुत कर उपरोक्त धारान्तर्गत अनूतोष की याचना की। वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि, वाद चरण 1 अनुसार वादीगण स्वर्गीय जीवला पिता भेमा डिंडौर जाति भील निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन के निकटत्तम उत्तराधिकारी व वारीसान है, वादीगण ने इस चरण मे अपने पूर्वज जीवला पिता भेमा की वंशावली जो वादीगण से संबंधित है अंकित की एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 26 तक की वंशावली बतायी।

कृ.प.उ....6

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे कथन किया कि, वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 26 तक के संयुक्त स्वामित्व, पैत्रक खातेदारी एवं कबजे काश्त की कृषि भूमि खाता नंबर 385 नया 353 पुराना के खसरा नंबर 498 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नंबर 1163 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नंबर 1164 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नंबर 1165 रकबा 7–10 बीघा, खसरा नंबर 1168 रकबा 1–04 बीघा, खसरा नंबर 1183 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नंबर 1241 रकबा 7–13 बीघा, खसरा नंबर 1262 रकबा 3–16 बीघा एवं खसरा नंबर 1276 रकबा 6–14 बीघा कुल खेत 9 कुल रकबा 49–11 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा मे स्थित है। जिसके वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से मालिक व स्वामी है एवं उक्त खेतो मे से 1/3 भाग की कृषि भूमि पर वादीगण लम्बे से निरन्तर रूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है एवं वादीगण के मोके पर 6 कवेलु पोश मकान बने हुऐ है जिसमे परिवार सहित वादीगण निवास कर रहे है। मोके पर वादीगण का भौतिक आधिपत्य व स्वामित्व मौजूद है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे उपरोक्त खसरा नंबरान का हवाला देकर कथन किया कि, उपरोक्त खेतो मे वादीगण के पूर्वज स्व. जीवला पिता भेमा का 1/3 भाग एवं प्रतिवादी नंबर 1 से लगायत 22 के पूर्वज स्व. हलीया पिता दलीया व प्रतिवादी नंबर 23 से 26 तक के पूर्वज वारजी पिता दलीया यानि हलीया, वारजी पिसरान दलीया के नाम से 2/3 भाग मे खतौनी सेटलमेन्ट खाता नंबर 100 सन 1945–46 मे शामलात खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड रही एवं शेष खसरा नंबर 1163 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नंबर 1164 रकबा 0–18 बीघा एवं खसरा नंबर 1168 रकबा 1–04 बीघा, खेत नंग 03 का रकबा 2–18 बीघा वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा एवं प्रतिवादी नंबर 1 से 26 तक के पूर्वज हलीया, वारजी पिसरान दलीया ने मिल कर नोतोड़ निकाल कर आबाद किये। इस प्रकार उक्त कुल रकबा 49–11 बीघा मे वादीगण का 1/3 भाग, प्रतिवादी नंबर 1 से लगायत 22 तक का 1/3 भाग, प्रतिवादी नंबर 23/1 से 26 तक का 1/3 भाग है और वादीगण के हिस्से 1/3 भाग रकबा 16–10 बीघा बनता है।

d ां m —7

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 5 मे कथन किया कि, उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज अर्थात जीवला पिता भेमा, हलीया, वारजी पिसरान दलीया भीलान ने रेकार्ड मे दर्ज अनुपात अनुसार मोके पर गांव वालो की मोजुदगी मे राजी खुशी से विभाजित कर ली और मोके पर हुवे आपसी बंटवारे मुताबिक वादीगण जीवला पिता भेमा उनके 1/3 हिस्से की कृषि भूमि यानि रकबा 16–10 बीघा पर काबिज होकर कमाने लगे एवं जीवला पिता भेमा के जीवनकाल मे उनके पुत्रगण बिजीया,गोतीया,नागजी, हवजी, नाकूड़ा, राजीया काश्त मे सहयोग करने लगे और जीवला के देहान्त के बाद उनके पुत्रगण 1/3 भाग के मालिक होकर फसल प्राप्त करते आ रहे है और अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। इस प्रकार जीवला पिता भेमा के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण का बाप दादाओ के समय से निरन्तर व लगातार आज तक कब्जा काश्त चला आरहा है और आज भी मोके पर स्वामित्व व कब्जा काश्त मोजूद है और उक्त कृषि भूमि हमारी पैत्रक है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 6 मे यह कथन किया कि, वादीगण उनके 1/3 भाग की उक्त कृषि भूमि पर खेती कर उपयोग व उपभोग कर रहे है और प्रतिवर्ष फसल ले रहे है और गत चोमासु मे मक्की, तुवर, उड़द, तोल की फसल बोकर प्राप्त की है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण उनके पूर्वज अर्थात जीवला पिता भेमा, हलीया, वारजी पिसरान दलीया भीलान के भाग पर काबिज होकर मोके पर कमा रहे है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 7 मे कथन किया कि वादीगण के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का मोके पर कोई कब्जा, हक या अधिकार या दखल नहीं है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 8 मे कथन किया कि, वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा का सेटलमेन्ट के समय से 1/3 भाग खाते मे दर्ज रहा है और इसका वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के बीच मोके पर रेकार्ड मे दर्ज अनुपात अनुसार बंटवारा किया गया है। वादीगण ने कथन किया कि, उनके पूर्वज जीवला पिता भेमा की मृत्यू दिनांक 14/08/1970 को हो जाने के बाद उनके पुत्रो के नाम से नामान्तरकरण करना था परन्तु प्रतिवादीगण के पुर्वज हलीया व वारजी

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा(राज.)

ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर जीवला पिता भेमा का नाम हटवा दिया और जीवला पिता भेमा के वंशावली मे दर्ज पुत्रो का नाम दर्ज नहीं होने दिया और बालां बालां प्रथम सेटलमेन्ट के इन्द्राज एवं मोके पर काबिज स्थिति के विपरित कुल कृषि भूमि हलीया, वारजी पिता दलीया ने उनके नाम से मिल मिलाकर दर्ज करवा ली और हलीया के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियो से मिल मिलाकर नामान्तरकरण नंबर 384 दिनांक 04/10/1977 के द्वारा कुल कृषि भूमि शम्भुड़ा, भेरीया, धारीया, कालु पिसरान हलीया (प्रतिवादीगण के पिता व पति) के नाम से बालां बालां दर्ज करवाली। जबकि दलीया के अन्य पुत्र बारजी जो कि सहखातेदार था उसके वारीस प्रतिवादी नंबर 23 से 26 तक का नाम भी 2/3 भाग मे दर्ज होने नहीं दिया और वादीगण की 1/3 हिस्से की कृषि मे वादीगण का नाम भी दर्ज होने नहीं दिया। इस प्रकार वर्तमान मे कुल कृषि भूमि प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 22 तक के नाम से गलत तरीके से दर्ज चली आरही है। इस प्रकार नामान्तरकरण नंबर 384 एवं उसके पूर्व व पश्चात की समस्त प्रविष्टिया व उनका अमल दरामद गैरकानूनी होकर निरस्तनीय है। जिससे वादीगण बाधित नहीं है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह भी कथन किया कि, वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा का नाम उनके जीवनकाल मे ही बिना किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा तहसीलदार के आदेश के, हटा दिया गया है और वादीगण का नाम भी दर्ज नहीं किया गया है। वादीगण व उनके पूर्वज की जानकारी के बिना एवं सुने बिना एट दी बेक आफ दी पार्टीज एकतरफा प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज के नाम से मुटेशन गलत तरीके से खोले गये है। जिस कारण प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्व के नामान्तरकरण एवं अमल दरामद गैरकानूनी होकर निरस्तनीय है और वादीगण उनकी 1/3 भाग की पैत्रक कृषि भूमि के खातेदारी घोषणा के पात्र है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह भी आगे कथन किया कि, प्रतिवादीगण के हक मे इन्द्राज करने के पूर्व ना तो मोका देखा गया है और ना वादीगण को सुना गया है और ना विधिक प्रकिया का निर्वहन किया गया है और वादीगण के पुर्वज जीवला पिता भेमा का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है,। वादीगण की जानकारी के बिना प्रतिवादीगणो के हक मे राजस्व कर्मचारियो की मिलीभगत से हुआ इन्द्राज एकतरफा व निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
होली सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह भी आगे कथन किया कि, प्रतिवादी नंबर 1 से लगायत 22 तक के हक मे खोले गये नामान्तरकरण व उनके अमल दरामद विधि विरूद्व व गैरकानूनी होने से उन्हे निरस्त नहीं किये गये और वादीगण को 1/3 भाग की कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित नही किये गये तो वादीगण को ऐसी असहाय हानि होगी जिसका रूपीयो मे मूल्याकंन नहीं हो सकेगा और कार्यवाहीयो की बाहूल्यता बढ़ जायेगी। जबकि वादीगण के हक मे प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह भी आगे कथन किया कि, वादीगण दिनांक 14/04/2011 को 1/3 भाग की कृषि भूमि मे सफाई कार्य कर रहे थे कि, तब प्रतिवादी नंबर 1 से लगायत 26 तक ने मोके पर आकर झगड़ा किया और धमकिये दे कर कहने लगे कि, यह खेत हमारे नाम से खाते मे चढ़ गये है, हमको दे दो वरना जबरन खोंस लेगे और तुम्हें कमाने नही देगे और तुम अपने टापरे हटा कर यहां से चले जाओ। जिस पर वादीगण ने दिनांक 15/04/2011 व उसके बाद की तिथियो मे संबंधितं खसरा खतौनी व नामान्तरकरण की नकले प्राप्त की तो पता चला कि वादीगण के पुर्वज जीवला पिता भेमा का नाम रेकार्ड से हटा कर, प्रतिवादीगण के पुर्वज ने उनके नाम व बाद मे प्रतिवादीगणो के नाम वादीगण की जानकारी के बिना राजस्व कर्मचारियो से मिल कर बालां बालां दर्ज करवा लिये है। जिस पर प्रतिवादीगण को दिनांक 19/04/2011 को समझाने का प्रयास किया तो कहने लगे कि तुम्हारे जो करना हो कर लो। वादीगण ने वाद का व्यवहार कारण दिनांक 14/04/2011 एवं 19/04/2011 को उत्पन्न होना बताया है।

वादीगण ने अन्त मे निवेदन किया कि, उपरोक्त कृषि भूमि कुल खेत 9 कुल रकबा 49—11 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तेहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थित मे से वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कियां जावे और राजस्व अभिलेख मे 1/3 भाग मे वादीगण के नाम की प्रविष्टिया की जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 04/10/1977 एवं इसके पुर्व व पश्चातवर्ती नामान्तरकरण एवं उसकी प्रविष्टिया विधि विरूद्व व गैरकानुनी होने से निरस्त कर रेकार्ड मे शुद्धि की जावे। उस हेतु भूमिधारी को आदेश दियें जावे।

.....कृ.प.उ. 10

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी खाता संख्या 385 (नयी) दिनांक 15/04/2011 संवत 2066–2069 एक्जी 01, नकल जमाबंदी खाता संख्या 104 (नयी) दिनांक 26/04/2011 संवत 2027 से 2030 एक्जी 2, नकल जमाबंदी खाता संख्या 134 संवत 2031–2034 दिनांक 26/04/2011 एक्जी.3, नकल जमाबंदी खाता संख्या 180 संवत 2034–2037 दिनांक 26/04/2011 एक्जी. 4, नकल जमाबंदी खाता संख्या 288 (नया) संवत 2054–2057 दिनांक 26/04/2011 एक्जी.5, नकल खतौनी सेटलमेन्ट खाता संख्या 100 (नया) सन 1945–1946 दिनांक 26/04/2011 एक्जी.6, नकल खसरा संवत 2002 से 2005 कुल पृष्ठ 6, इक्जी.7 नकल खसरा संवत 2006 से 2009 कुल पृष्ठ 3 एक्जी. 8, नकल खसरा संवत 2023 से 2026 तक कुल पृष्ठ 6 एक्जी. 9, नकल खसरा संवत 2018 से 2021 पृष्ठ 4 एक्जी. 10, नकल खसरा संवत 2014 से 2017 तक एक्जी. 11, नकल खसरा संवत 2014 से 2017 तक पृष्ठ 5 एक्जी. 12 प्रस्तुत कर, प्रदर्शित कराये गये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो की तलबी हेतु सम्मनस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमति पूंजी, प्रतिवादी संख्या 4 भेरीया, प्रतिवादी संख्या 5 शान्तु, प्रतिवादी संख्या 6 वालु, प्रतिवादी संख्या 14 श्रीमति ककुडी, प्रतिवादी संख्या 15 तोलिया, प्रतिवादी संख्या 16 संजू, प्रतिवादी संख्या 18 लीला, प्रतिवादी संख्या 22 श्रीमति वरजा, प्रतिवादी संख्या 24/1 श्रीमति वेस्ती, 24/3 कानु उर्फ कान्ति, 24/4 मोवन, प्रतिवादी संख्या 26 मोतीया की ओर से दिनांक 22/07/2015 को एवं प्रतिवादी संख्या 7 रकमा, प्रतिवादी संख्या 8 दिलीप, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 नाबालिग सुरज व प्रकाश की माता श्रीमति ककुड़ी, प्रतिवादी संख्या 23/2 शम्भु, प्रतिवादी संख्या 16 संजू नाबालिग की माता श्रीमति वरजा की ओर दिनांक 20/08/2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामील पत्रावली किये गये। प्रतिवादी नंबर 1, 2, 13, 17, 19, 20, 23/1, 23/4, 24/5, 24/6, 25, 26 के विरूद्व दिनांक 29/01/2016 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रतिवादी संख्या 27 भूमिधारी सम्मनस तामीली के बावजुद न्यायालय मे हाजिर नही हुए और उनकी ओर से कोई साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि, प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत जवाब दावा मे वादीगण के वाद पत्र को अस्वीकार किया एवं वाद पत्र निरस्त किये जाने हेतू निवेदन किया है।

उप खण्ड अधिकारी
छोटी सरवन जि. बासवाड़ा (राज.)

.....कृ.प.उ.11

Scanned with OKEN Scanner

यह कि, वाद पत्र के निस्तारण हेतू निम्न विवादक निर्मित किये गये–

(1) आया वादीगण वाद ग्रस्त कृषि भूमि मे 1/3 भाग के मालिक एवं सहस्वामी है और क्या वाद ग्रस्त खेतो मे से 1/3 भाग की कृषि भूमि वादीगण के उपयोग व उपभोग मे होकर वादीगण के इसमे 06 कवेलु पोश मकान निर्मित है और वादीगण का हक बनता है।

.....वादीगण

(2) आया वाद ग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबरान 498, 1165, 1183, 1241, 1262 एवं 1276 कुल खसरे 6 कुल रकबा 46–13 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा नोतोड़ निकाले गये है और क्या वर्तमान जमाबंदी अभिलेख मे दर्ज शेष खसरा नंबरान 1163, 1164 व 1168 कुल खसरे 3 का कुल रकबा 2–18 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन स्थित बाद मे नोतोड़ निकाले गये है, इस प्रकार कुल खसरे 09 मे वादीगण का क्या 1/3 भाग बनता है।

.....वादीगण

(3) आया उपरोक्त वाद ग्रस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से मोके पर बंटवारा होकर वादीगण 1/3 भाग पर काबिज होकर कमा रहे है।

.....वादीगण

(4) आया वादीगण द्वारा वाद पत्र में बतायी वंशावली मे जीवला पिता भेमा के भाई स्व. होमला को नहीं बताया है एवं होमला का पुत्र मन्सू जो कि जीवित है उसे वाद पत्र मे पक्षकार नहीं बनाया है तो क्या मन्सू वाद पत्र मे पक्षकार होना आवश्यक था और इसके अभाव मे वाद पत्र पर क्या प्रभाव पडेगा।

.....प्रतिवादीगण

(5) आया वादं ग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की पैत्रक होकर प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की है और इसमे वादीगण का कोई हीत, स्वत्व या अधिकार नहीं बनता है।

.....प्रतिवादीगण

(6) आया वाद ग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की निकाली गयी कृषि भूमि है तो क्या उसमे वादीगण चाहा गया अनूतोष प्राप्त करने के पात्र है।

.....प्रतिवादीगण

(7) आया अनुतोष क्या रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छोटा सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि, हम वाद पत्र के निर्मित विवादक अनुसार वाद पत्र का निर्णय करना उचित समझते है।

यह कि, विवादक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है एवं इस संबंध मे कि, क्या वादीगण वादग्रस्त उपरोक्त खाते मे 1/3 भाग मे काबिज होकर हक रखते है, इस संबंध मे नकल खतौनी सेटलमेन्ट खाता संख्या 100 (नया) सन 1945–46 एक्जी. 6 को देखने पर यह स्वतः सिद्व हो जाता है कि, एक्जी. 6 में 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वज (वाद की वंशावली मे दर्ज नाम) एवं 1/3 वादीगण के पूर्वज (वाद की वंशावली मे दर्ज नाम) का बनता है। इस प्रकार वादीगण ने अपनी वंशावली मे पूर्वज जीवला पिता भेमा को बताया है एवं इस सेटलमेन्ट खतौनी मे भी 1/3 भाग मे जीवला पिता भेमा सहखातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण ने अपने वादोत्तर मे भी वादीगण की वंशावली का खण्डन नहीं किया हैं एवं एक्जी. 6 सेटलमेन्ट खतौनी के संबंध मे भी कोई आपत्ति नहीं की है यहीं नहीं वादीगण की प्रस्तुत साक्ष्य से भी वादीगण के पूर्वजो के समय की कृषि भूमि होना निःसन्देह साबित होती है,परन्तु इस सेटलमेन्ट खतौनी मे खसरा नंबर 498, 1165, 1183, 1241, 1262 व 1276 कुल खसरे 6 का कुल रकबा 46 बीघा 13 बीस्वा अंकित है जिसमे से 1/3 भाग वादीगण का बनना पाया जाता है जबकि वर्तमान कुल खसरे 9 का कुल रकबा 49–11 बीघा है जिस कारण शेष खसरा नंबर 1163, 1164 व 1168 की विवेचना तनकी नबर 2 मे किया गया है। अभी सेटलमेन्ट खतौनी के खसरा नंबर 498, 1165, 1183, 1241, 1262 व 1276 कुल खसरे 6 का कुल रकबा 46 बीघा 13 बीस्वा मे हम वादीगण का 1/3 भाग होना मानते है। इसलिये यह तनकी वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित करते है।

यह कि, विवादक संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है एवं इस संबंध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत एक्जी. 6 नकल खतौनी सेटलमेन्ट खाता संख्या 100 (नया) सन 1945–46 का सुक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह अक्षरशः स्वीकार्य योग्य है कि, इसमे दर्ज खसरा नंबर 498, 1165, 1183, 1241, 1262 व 1276 कुल खसरे 6 का कुल रकबा 46 बीघा 13 बीस्वा नोतोड़ निकाले गये जो सर्वप्रथम खतौनी सेटलमेन्ट मे अंकित किये गये परन्तु बाद मे राजस्व जमाबंदी मे प्रतिवादीगण के पक्ष मे गलत दर्ज किये गये है। इस प्रकार वाद ग्रस्त खसरो मे 1/3 भाग वादीगण का सिद्व है।

.....13

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि, प्रकरण मे प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2002 से 2026 तक के अध्ययन से यह सिद्व है कि, वाद ग्रस्त खसरा नंबरान 1163, 1164 व 1168 कुल खसरे 3 का कुल रकबा 2—18 बीघा मे वादीगण का 1/3 भाग मोजूद है। यह खसरे मुल सेटलमेन्टी के खसरो के साथ, प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख मे जमाबंदी संवत 2027 मे दर्ज हो गये है। जमाबंदी संवत 2027 से पूर्व की प्रस्तुत खसरा गिरदावरी मे वाद ग्रस्त खसरे जो बताये गये है उसमे काश्तकार/उपकृषक मे हलीया बशरह नंबर 498 लिखा हुआ है जिससे यह सिद्व है कि, खसरा नंबर 1163, 1164 व 1168 भी पक्षकारान के पैत्रक हैं। इसके विपरित प्रतिवादीगण ने अपने वादोत्तर मे यह 03 खसरे केसे उनके खाते मे दर्ज हुवे है यह कहीं नहीं बताया है और ना किसी प्रकार से कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं साक्ष्य वादीगण से भी पैत्रक होने की पूष्टि होती है। अतः खसरा नंबर 1163, 1164 व 1168 की कृषि भूमि रकबा 2—18 बीघा भी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की पैत्रक होना सिद्व होती है। इस लिये तनकी नंबर 2 वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

यह कि, विवादक संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है एवं इस संबंध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत एक्जी. 6 नकल खतौनी सेटलमेन्ट खाता संख्या 100 (नया) सन 1945—46 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, सन 1945—46 के प्रथम अभिलेख मे ही वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा का 1/3 हिस्सा अंकित है और वादीगण ने भी अपने वाद पत्र मे 1/3 हिस्सा मोके पर कुल कृषि भूमि के आपसी सहमति से किये गये विभाजन मे मिलना बताया है जिस पर वादीगण कमा रहे है और वादीगण ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की है उससे भी इस कथन की पूष्टि होती है कि, वादीगण 1/3 भाग पर पुराने समय के आपसी सहमति के बंटवारे अनुसार काबिज होकर कमा रहे है और वादीगण के स्वयं के मकान भी बने हुवे है जिनमे वादीगण का सपरिवार निवास है और इन्ही मकानो के संबंध मे प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि, वादीगण जब काश्त करने आते है तो हम उन्हे रहंने हेतू मकान देते है परन्तु प्रतिवादीगण ने मकान उनके होने के संबंध मे कोई स्वामित्व का प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके विपरीत वादीगण ने अपनी साक्ष्य से इसे बखुबी साबित किया है जो इस ओर इंगित करता है कि, वादीगण का मोके पर

कृ.प.उ. 14

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

पुराने आपसी सहमति से किये गये विभाजन के समय से वर्तमान समय तक 1/3 भाग मोजूद है। अतः तनकी नंबर 3. वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

यह कि, विवादक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है एवं इस संबंध मे प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादोत्तर मे यह आपत्ति दी कि वादीगण द्वारा वंशावली मे जीवला पिता भेमा के भाई स्व. होमला को नहीं बताया है और होमला के पुत्र मन्सू को वाद पत्र मे पक्षकार नहीं बनाया है परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/3 भाग मे होमला पुत्र भेमा का भी हक बनता हो और मन्सु पिता होमला को पक्षकार बनाना आवश्यक हो। इसके विपरीत वादीगण के द्वारा प्रस्तुत एक्जी. 6 नकल खतौनी सेटलमेन्ट खाता संख्या 100 (नया) सन 1945–46 मे वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा अकेले के नाम से 1/3 हिस्सा अंकित है ना कि जीवला व होमला पिता भेमा के नाम से। अतः यह भलीभांति स्पष्ट है कि, वाद ग्रस्त खाते मे वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा का दर्ज 1/3 भाग उनका स्वअर्जित है और इसमे होमला पिता भेमा का कहीं नाम भी नहीं है और ना जीवला व होमला के पिता भेमा के नाम से 1/3 भाग दर्ज रहा है। जिस कारण हम यह उचित समझते है कि, वादीगण के परिवार की वंशावली मे होमला पिता भेमा को बताने की एवं मन्सू पिता होमला को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मन्सु पिता स्व. होमला के अभाव मे वाद पत्र पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि प्रतिवादीगण इस विवादक को प्रमाणित करने मे पुरी तरह से असफल रहे है। अतः विवादक नंबर 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

यह कि, विवादक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है एवं इस संबंध मे प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादोत्तर मे कथन किया है कि कुल कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की है एवं वादीगण व उनके पूर्वजो का कोई हक नहीं बनता है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध मे कोई दस्तावेजी सबुत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि यह माना जा सके कि, कुल कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की हो और इसमे वादीगणो का कोई हीत या अधिकार नहीं बनता हो, इसके विपरित वादीगण की प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य एवं कथनो से यह बखुबी सिद्व हो जाता है कि,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त कुल कृषि भूमि मे 1/3 भाग वादीगण का बनता है और वादीगण का 1/3 भाग मे हीत, स्वत्व एवं अधिकार सेटलमेन्ट के समय से होना साक्ष्य वादीगण से साबित है। अतः यह विवादक प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

यह कि, विवादक संख्या 6 को सिद्व करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा कोई प्रलेखीय साक्ष्य अपने पक्ष मे एवं वादोत्तर के समर्थन मे प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि, वाद ग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की निकाली हुई होने से उसमे वादीगण अनूतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते है। जबकि वादीगण ने अपनी साक्ष्य से 1/3 भाग वादीगण का होना साबित किया है। जिसमे से 1/3 भाग वादीगण का और 2/3 भाग प्रतिवादीगणो का होना साबित है। ऐसी अवस्था मे यह सिद्व है कि, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो के द्वारा नहीं निकाली गयी है। जिस कारण वादीगण 1/3 भाग का अनूतोष प्राप्त करने के हकदार है। अतः यह विवादक प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचना एवं विवादक के निर्णय से वादीगण अपना वाद पत्र सिद्व करने मे सफल रहे है एवं वादीगण के हीतो के विरूद्व किये गये विवादीत नामान्तरकरण एवं उनकी राजस्व अभिलेख मे अंकित प्रविष्टीयाँ विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं वादीगण 1/3 अनुपात मे खातेदारी घोषणा के पात्र है। इस लिये यह वाद पत्र वादीगण के पक्ष मे निर्णित करना हम उचित समझते है।

हमने प्रकरण मे दिनांक 21/04/2022 को वादीगण के वकील की एक तरफा बहस को सुना। वादीगण वकील ने बहस मे बताया कि, वादीगण के पूर्वज जीवला पिता भेमा जो वाद पत्र की वंशावली मे दर्ज है उनका नाम वाद ग्रस्त कृषि भूमि मे से 1/3 भाग मे रियासत के समय से प्रथम सेटलमेन्ट खतौनी सन 1945–46 मे दर्ज हुवा और जीवला पिता भेमा के देहान्त के बाद पीढी दर पीढी उनके वारीसान कमाते आ रहे है और वर्तमान मे वादीगण कमा रहे है परन्तु जीवला पिता भेमा के जीवनकाला मे ही उनका नाम खाते से बिना किसी कानूनी प्रकिृया के हटा दिया गया और खाते मे जो 2/3 भाग के हलीया, बारजी पिता दलीया सहखातेदार सेटलमेन्ट मे दर्ज थे उनके नाम से पुरा खाता कर दिया गया और नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 04/10/1977 के द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी गयी एवं वादीगण का नाम दर्ज होने नहीं दिया। इस प्रकार जो कृषि

......कृ.प.उ.16

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

भूमि वर्तमान मे प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है उसमे से वादीगण 1/3 भाग की कानूनन खातेदारी की पात्रता रखते है। वादीगण के पुराने 06 मकान बने हुवे है जिसमे वादीगण परिवार सहित निवास कर रहे है एवं इन मकानो से ही वादीगण के पत्र व्यवहार, लेन देन, शासकीय कार्य सम्पन्न होते है। यदि वादीगण को 1/3 भाग मे खातेदार घोषित नहीं किये गये और इस खाते का विवादित नामान्तरकरण संख्या 384 और उसके पश्चातवर्ती नामान्तकरण एवं राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टियो को निरस्त नहीं किया गया तो वादीगण को असहाय हानि होगी जिसका आंकलन करना मुश्किल होगा एवं वादीगण के परिवार के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। बहस मे वकील वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि, वादीगण ने अपने 1/3 भाग की पैत्रक कृषि भूमि के लिये ही अनूतोष चाहा है और इससे वादीगण को वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण के हीत व अधिकार प्रभावित होगे। पत्रावली पर आये तथ्य, साक्ष्य एवं वादीगण वकील की बहस पर गहन मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि, वाद पत्र स्वीकार करने एवं गलत प्रविष्टीया निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 498 रकबा 2–15 बीघा (0.4450 हेक्टयर), खसरा नंबर 1163 रकबा 0–16 बीघा (0.1294 हेक्टयर), खसरा नंबर 1164 रकबा 0–18 बीघा (0.1456 हेक्टयर), खसरा नंबर 1165 रकबा 7–10 बीघा (1.2135 हेक्टयर), खसरा नंबर 1168 रकबा 1–04 बीघा (0.1942 हेक्टयर), खसरा नंबर 1183 रकबा 18–05 बीघा (2.9529 हेक्टयर), खसरा नंबर 1241 रकबा 7–13 बीघा (1.2378 हेक्टयर), खसरा नंबर 1262 रकबा 3–16 बीघा (0.6148 हेक्टयर) एवं खसरा नंबर 1276 रकबा 6–14 बीघा (1.0841 हेक्टयर) कुल खेत 9 कुल रकबा 49–11 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा स्थित मे से वादीगण को 1/3 भाग पर खातेदार कृषक घोषित कर, वादीगण के नाम खाते मे दर्ज करने एवं वादीगण के 1/3 हिस्से पर राजस्व अभिलेख की प्रविष्टीयॉ एवं अंकन गैरकानूनी होने से निरस्त एवं कलमज़न किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्अनुसार डिग्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2022को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 17 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम: **छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)**

बईजलास श्री मनोज सोलंकी आर. ए .एस

प्रकरण संख्या 08/2014 (पुराना प्रकरण संख्या 58/2011)

उनवान मुकदमा

श्री बिजीया पिता स्व.श्री जीवला डिंडौर जाति भील पेशा खेती निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बाँसवाड़ा (राज.) एवं अन्य कुल (6)

:– **वादीगण**

अभिभाषक :– श्री नानालाल चरपोटा

बनाम

सीता पुत्री शम्भुड़ा, जाति भील पेशा खेती निवासी ग्राम कमलीपाड़ा छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बाँसवाड़ा (राज.) एवं अन्य कुल (27)

: –**प्रतिवादीगण**

अभिभाषक :– श्री राजीव जोशी

(प्रतिवादी संख्या 1 से 26 तक)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजिर वकील वादीगण श्री नानालाल चरपोटा, जानिब प्रतिवादीगण वकील पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 498 रकबा 2–15 बीघा (0.4450 हेक्टयर), खसरा नंबर 1163 रकबा 0–16 बीघा (0.1294 हेक्टयर), खसरा नंबर 1164 रकबा 0–18 बीघा (0.1456 हेक्टयर), खसरा नंबर 1165 रकबा 7–10 बीघा (1.2135 हेक्टयर), खसरा नंबर 1168 रकबा 1–04 बीघा (0.1942 हेक्टयर), खसरा नंबर 1183 रकबा 18–05 बीघा (2.9529 हेक्टयर), खसरा नंबर 1241 रकबा 7–13 बीघा (1.2378 हेक्टयर), खसरा नंबर 1262 रकबा 3–16 बीघा (0.6148 हेक्टयर) एवं खसरा नंबर 1276 रकबा 6–14 बीघा (1.0841 हेक्टयर) कुल खेत 9 कुल रकबा 49–11 बीघा वाके राजस्व ग्राम छोटीसरवन, पटवार मण्डल छोटीसरवन, तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा स्थित मे से वादीगण को 1/3 भाग पर

कृ.प.उ.....2

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार कृषक घोषित कर, वादीगण के नाम खाते मे दर्ज करने एवं वादीगण के 1/3 हिस्से पर राजस्व अभिलेख की प्रविष्टीयॉ एवं अंकन गैरकानूनी होने से निरस्त एवं कलमज़न किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्अनुसार अन्तिम डिग्री जारी की जाती है।

नोज..... मुबलिग ..... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह .....प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/07/2022 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन
जिला बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन, जि. बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दालय	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा		स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजरांय हुकमनामा	
बाबत् इजराय हुकमनामा मुतफरीक		मुतफरीक	

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुछ खर्चा हर दो फ़रीक़ेन का चाहे डिगरी कगे जरीये दिलाया हो या नही दर्ज कराना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner